प्रपत्र–VII

[नियम 17 का उप–नियम 10]

उन्मोचन आदेश

मैं.....(उन्मोचन प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम..... राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, इस आदेश के द्वारा .....पुत्र/पुत्री..... निवासी..... को, जिसे किशोर न्याय (बालकों की देख रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा..... के अन्तर्गत किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पर्यवेक्षण गृह/विशेष गृह/परवर्ती देखरेख गृह में .....(दिनांक).....(माह)20.....(वर्ष) को .... अवधि हेतु रखे जाने का आदेश दिया गया था और जिसे अब..... पर स्थित गृह में रखा गया है, और उक्त गृह से उन्मोचित किए जाने तथा उसके निवास की शेष अवधि के दौरान उसे..... के पर्यवेक्षक एवं प्राधिकार में रखे जोन की अनुमति देता हूँ।

यह आदेश आग्र दशाई गई शर्तों के अध्यधीन दिया गया है और इनमें से किसी भी शर्त को भंग किए जाने की स्थिति में इसे रद्द किया जा सकात है।

दिनांकः

स्थानः

उन्मोचन प्राधिकारी
के हस्ताक्षर व पदनाम

शर्तें

1. उन्मोचित व्यक्ति निरूद्ध किए जाने की अवधि के समाप्त होने तक, यदि यह माफी पहले ही रद्द न की गई हो,..... में जाकर..... के पर्यवेक्षक एवं प्राधिकार में रहेगा/रहेगी।
2. वह..... की अनुमति के बिना उस स्थान या उक्त..... द्वारा बताए गए अन्य किसी स्थान से कहीं नहीं जाएगा/जाएगी।
3. वह स्कूल में/व्यवसायिक प्रशिक्षण पर या अन्य कहीं समयनिष्ठ व नियमित उपस्थिति के विषय में उक्त..... के अनुदेशों का पालन करेगा/करेगी।
4. वह..... स्थित उपस्थिति केन्द्र में नियमित रूप से उपस्थित होगा/होगी।
5. वह कोई भी उपराध करने से बचेगा/बचेगी और..... के लिए संतोषप्रद ढंग से सीधा–साधा व परिश्रमी जीवन व्यतीत करेगा/करेगी।
6. उसके द्वारा किसी भी उपर्युक्त शर्त को भंग किए जाने को स्थिति में निरोध की अवधि की इस आदेश द्वारा प्रदत्त माफी रद्द की जा सकती है और यह माफी रद्द किए जाने पर उसके साथ किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 59 की उप–धारा (3) के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।

मैं एतद्दारा यह अभिस्वीकार करता/करतीं हूँ कि मुझे उपर्युक्त शर्तो की जानकारी है, जो मुझे पढ़कर सुनाई/समझाई गई हैं और मैं इन्हें स्वीकार करता हूँ/करती हूँ।

(उन्मोचित किशोर/किशोरी

के हस्ताक्षर या अंगूठे की निशान)

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त में विनिर्दिष्ट शर्तें ..... किशोर या किशोरी/बालक, को पढ़कर सुनाई/समझाई गई है तो तथा उसने इन्हें ऐसी शर्तों के रूप में स्वीकार किया है, जिनके आधार पर उसके निरोध की अवधि को रद्द किया जा सकता है।

तद्नुसार प्रताणित किया जाता है कि उपर्युक्त किशोर या किशोरी/बालक को.....
...को उन्मोचित किया गया।

प्रमाणकर्ता प्राधिकारी अर्थात्

संस्था के प्रभारी अधिकारी

के हस्ताक्षर एवं पदनाम